न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/2022/24

1. जगदीश पुत्र बोदू जाति जाट निवासी चिमनपुरा वालो की ढाणी वार्ड नंबर 12, लोहरवाडा, बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. छग्गू देवी पत्नी भैरूराम जाति जाट निवासी ग्राम राजाधिराजपुरा उर्फ चिमनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. बदाम देवी पत्नी चांदकरण जाति जाट निवासी ग्राम राजाधिराजपुरा उर्फ चिमनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय **दिनांक: 29.06.2022**

वादी की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि राजस्व ग्राम राजाधिराजपुरा उर्फ चिमनपुरा पटवार क्षैत्र अवानिया, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बगरूकलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर की सरहद में कृषि भूमि खाता संख्या नया 67 के खसरा नंबर 418/588 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 432 रकबा 0.0500 हैक्टेयर, खसरा नंबर 454 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 456/587 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, खसरानंबर 457 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नंबर 472 रकबा 0.1600 हैक्टेयर, खसरा नंबर 504 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 508 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरानंबर 509 रकबा 0.23 हैक्टेयर, खसरा नंबर 510 रकबा 0.1000 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल [illegible] हैक्टेयर स्थित है। राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में उक्त खसरा की भूमि [illegible] वादी [illegible] 1/6 हिस्सा निहित है। एवं वादी की माता मंगली देवी पत्नी बोदूराम का स्वर्गवास दिनांक 21.05.2014 को हो चुका है। ओर स्व0 मंगली देवी प[illegible] बोदूराम का एक मात्र [illegible]णी

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 16:06:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

का वारिस उत्तराधिकारी जगदीश (वादी) ही है। इसलिये स्व0 मंगली का हिस्सा भी वादी में ही निहित है। वाद अधीन कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी में दर्ज एवं अंकित चली आ रही है इसलिये वादी ने समय–समय पर प्रतिवादीगण को वाद अधीन कृषि भूमि का कब्जे काश्त एवं सरस नरस में विधिक विभाजन करवाने हेतु कहा। पूर्व में तो प्रतिवादीगण विधिक विभाजन करवाने हेतु हामी भरते रहे परन्तु अब चूँकि जयपुर जिला की कृषि भूमियों की बाजार दर में अत्यधिक वृद्वि हो चुकी है इसलिये प्रतिवादीगण की नियत में फितुर आ गया और वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन करवाये बिना ही वादग्रस्त आराजी को विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द–बुर्द एवं प्लोटिंग कर विक्रय करने हेतु उतारू हो गये। जबकि विधि अनुसार जब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हो जाता है तब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विक्रय–हस्तान्तरण एवं निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि विधि अनुसार संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के प्रत्येक इन्च भाग पर सह–हिस्सेदार काश्तकार का विधिक कब्जा एवं विधिक रिकॉर्डेड खातेदारी अधिकार निहित होते है। प्रतिवादीगण उक्त गैर कानूनी व विधि विरूद्व तरीके से उक्त भूमि पर प्लोटिंग करके विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द बुर्द करने पर उतारू है इस संबंध में वादी ने प्रतिवादी को दिनांक 13.02.2022 को वादअधीन भूमि का कब्जे काश्त व सरस नरस के मध्य विधिक विभाजन कराने हेतु कहा साफ इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादीगण ने वादी को एलानियां धमकी दी कि वाद अधीन कृषि भूमि पर वह प्लॉट काटकर निर्माण करके, विक्रय हस्तान्तरण करेगें तथा उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल कर दम लेगें। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार हासिल नहीं है। बिनायदावा अन्तिम रूप से दिनांक 13.02.2022 को तब पैदा हुआ जब प्रतिवादीगण ने बिना विधिक विभाजन करवाये ही वादी को वा अधीन भूमि को कृषि से अकृषि में उपयोग करने हेतु प्लॉट काटकर कच्चा–पक्का पुख्ता निर्माण करने, पेड़ काटने तथा विशेष भू–भाग को विक्रय हस्तान्तरण करके खुर्द–बुर्द करने की एलानियां धमकी दी, जो निरन्तर जारी है।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादी का वाद बहक वादी विरू, प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री [illegible] कि वादग्रस्त भूमि का कब्जे काश्त व सरस नरस के आधार पर बाई [illegible] के आधार पर विधिक विभाजन किया जाकर उक्त भूमि में वादी के निहित 1/6 हिस्से व वादी की माता मंगली देवी 1/6 हिस्से अर्थात उक्त भूमि में से 1/3 हिस्से को वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 16:06:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

की पृथक खातेदारी में दर्ज किया जाकर वादी के 1/3 हिस्से का राजस्व लगान एवं राजस्व नक्शा पृथक किया जावें। स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की फरमायी जावे कि वादग्रस्त आराजी का बिना विधिक विभाजन करवाये बिना, उकत खसरान् की भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी भी प्रकार से बैचान–हस्तान्तरण, अनुबन्ध, बख्शीश, वसीयत, रहन, मोरगेज इत्यादि करने एवं ऐसे करिसी भी लेख्य पत्र का पंजीयन करने से निषेद्व रहे तथा वादी के शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग, कब्जा–काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी, हस्तक्षेप, बाधा, रूकावट, मदाखलत, मजाहमत इत्यादि करने, विशिष्ठ भू–भाग पर प्लॉट काटकर कच्चा–पक्का निर्माण करने, हरे पेड़ काटने से निषेद्व रहें तथा अपने–अपने परिवारजनों, एजेण्ट, प्रतिनिधि, सर्वेण्ट इत्यादि को भी निषेद्व रखें तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनायी रखें।

वकील वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ हाल जमाबंदी व नक्शा ट्रेस की फोटो प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये व जवाब दावा प्रस्तुत किया। जवाब दावे में अंकित है कि – वादी को दिनांक 13.02.2022 को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ। बिना वाद कारण के ही वादी ने उक्त वाद प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। <u>प्रतिवादीगण/उत्तरदाता</u> ने वादी को किसी प्रकार से कोई धमकी नही दी हैं। मात्र वादी द्वारा <u>प्रतिवादीगण/उत्तरदाता</u> को हैरान परेशान करने के उद्वेश्य से बिना वाद कारण के वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो निरस्तनीय है। अतः जवाब दावाय मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त कृषि भूमि का उत्तरदातागण का सरस नरस (मीट्स एण्ड बाउण्ड्स) के आधार पर तकासमा कर दिया जाता है तो उत्तरदाता को कोई एतराज नही हैं।

वकील उभयपक्ष की बहस वादपत्र पर सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा करने हेतु निवेदन किया। बहस वकील उभयपक्ष की सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व जवाब दावा अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2074–2077 खाता संख्या नया 67 [illegible] धिराजपुरा उर्फ चिमनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात में वादी व प्रतिवादीगण सह–खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है जिनके मध्य आदिनांक तक विधिवत तकासमा नही हुआ है वकील वादी व

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 15:06:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण भी बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तकासमा हेतु सहमत है तो वाद में तकासमा किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात खसरा नंबर 418/588 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 432 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 454 रकबा 0.06 हैक्टेयर, 456/587 रकबा 0.03 हैक्टेयर, 457 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 472 रकबा 0.14 हैक्टेयर, 504 रकबा 0.10 हैक्टेयर, 508 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 509 रकबा 0.23 हैक्टेयर, 510 रकबा 0.10 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 0.9100 हैक्टेयर वाकै ग्राम राजाधिराजपुरा उर्फ चिमनपुरा पटवार हल्का अवानिया भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड विधि सम्मत "बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स" उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में तकासमा कर अलग–अलग खाता व लगान कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तीन प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में भिजवायें।

न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एलआर/2022/5448 दिनांक 24.06.2022 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की जो निम्नानुसार है :–

चालू राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) के खाता संख्या 67 के अनुसार प्रविष्ट्री :–

खातेदारी का विवरण	खसरा नंबर	क्षेत्रफल	किस्म भूमि	संदत्त लगान
छग्गू देवी पत्नि भैरूराम हि0 1/3 जगदीश पुत्र बोदू हि0 1/6 बादामी देवी पत्नि चांदकरण हि0 1/3 मंगली पत्नि बोदू हि0 1/6 समस्त जाति जाट सा0देह	418/588	0.0300	बंजड 1	0.09
	432	0.0500	चाही ए 0.0400	1.76
			जाव ए 0.0100	0.22
	454	0.0600	चाही ए	2.64
	456/587	0.0300	चाही ए	1.32
	457	0.1600	चाही ए	7.04
	472	0.1400	चाही ए	6.16
	504	0.1000	चाही ए	4.40
	508	0.0100	चाही ए	0.44
	509	0.2300	चाही ए	10.12
	510	0.1000	चाही ए	4.40
योग		0.9100		38.59

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.05.13 15:06:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

विभाजन प्रस्ताव के अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट :-

क्र.सं.	प्रस्तावित खातेदारी का विवरण	खसरा नंबर	क्षैत्रफल हैक्टेयर में	किस्म भूमि	संदत्त लगान
1	जगदीश पुत्र बोदू हि0 सम्पूर्ण जाति जाट सा0देह खातेदार	504 508 509 मि0 510	0.1000 0.0100 0.0667 0.1000	चाही ए चाही ए चाही ए चाही ए	4.40 0.44 2.93 4.40
योग		4	0.2767	चाही ए	12.17
2	छग्गू देवी पत्नि भैरूराम हि0 1/2 बदाम देवी पत्नि चांदकरण हि0 1/2 जाति जाट सा0देह खातेदार	454 456/587 457 472 509 मि0	0.0600 0.0300 0.1600 0.1400 0.1633	चाही ए चाही ए चाही ए चाही ए चाही ए	2.64 1.32 7.04 6.16 7.19
	योग	5	0.5533	चाही ए	24.35
3	छग्गू देवी पत्नि भैरूराम हि0 1/3 बदाम देवी पत्नि चांदकरण हि0 1/3 जगदीश पुत्र बोदू हि0 1/6 मंगली पत्नि बोदू हि0 1/6 जाति जाट सा0 देह खातेदार	418/588 432	0.0300 0.0500	बंजड। चाही ए 0.0400 जाव ए 0.0100	0.09 1.76 0.22
	योग	2	0.0800		2.07

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस आपत्ति वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार कर वाद में अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। बहस वकील उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता [illegible] वादी व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद [illegible]। प्रा[illegible] कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इस आशय की अन्तिम [illegible] जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार ह[illegible]र दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 15:06:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** व इजलास
श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

जगदीश **बनाम** छग्गू देवी वगै.

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर – दावा/2022/24

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट को स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण अन्तिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करें। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज .... मुवलिग .... बाबत् ....
.... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ....
.... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....
.... का अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29.06.2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत ...सहायक कलक्टर
ओहदा ...जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान		00	मीजान		

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 15:06:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner